**प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 14.09.2026**

## थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा वाहन चोरी की घटना कारित करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल बरामद ।

आज दिनांक 14.09.2026 को थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान वाहन चोरी की घटना कारित करने वाला अभियुक्त ललित शर्मा पुत्र उमंग शर्मा निवासी कस्बा मुरादनगर गाजियाबाद को गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से चोरी की एक मोटरसाइकिल बरामद हुई जिसके सम्बन्ध में थाना मुरादनगर पर सुसंगत धारा- 303(2) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत है तथा बरामदगी के आधार पर उपरोक्त अभियोग में धारा- 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी है । अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

**पूछताछ का विवरण-**

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैंने यह मोटरसाइकिल अपने साथी भूपेन्द्र उर्फ छोटू के साथ मिलकर आर्डनैंस फैक्ट्री मुरादनगर के पास से चोरी की थी । इसे बेचने की फिराक में निकला था कि पुलिस चेकिंग में पकडा गया ।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-**

ललित शर्मा पुत्र उमंग शर्मा निवासी कस्बा मुरादनगर गाजियाबाद, उम्र 19 वर्ष

**वांछित अभियुक्त** - भूपेन्द्र उर्फ छोटू

**बरामदगी का विवरण-**

कब्जे से चोरी की 01 मोटरसाइकिल बरामद ।

**आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-**

थाना मुरादनगर पर उपरोक्त मोटरसाइकिल के संबंध में चोरी का 01 अभियोग पंजीकृत हैं। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।

**गिरफ्तार करने वाली टीम-**

थाना मुरादनगर पुलिस टीम।

## थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा “ऑपरेशन प्रहार” के अन्तर्गत चेकिंग के दौरान गांजा की तस्करी करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से कुल 1.250 किलोग्राम अवैध गांजा व चोरी की मोटरसाइकिल बरामद ।

आज दिनांक 14.09.2026 को थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा “ऑपरेशन प्रहार” के अन्तर्गत चेकिंग के दौरान गांजा की तस्करी करने वाले 02 अभियुक्तों 1. समीर उर्फ लम्बू पुत्र बबलू निवासी पूजा कॉलोनी मंगल बाजार मुस्कान तिराहा थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद 2. साहिद उर्फ टिड्डा पुत्र समीम

निवासी पूजा कॉलोनी मंगल बाजार मुस्कान तिराहा थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद को घिटौरा मोड के पास थाना क्षेत्र ट्रोनिका सिटी से गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से कुल 1.250 किलोग्राम अवैध गांजा व एक चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई। उक्त बरामदगी के आधार पर थाना ट्रोनिका सिटी पर गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा- 8/20 एनडीपीएस एक्ट व 317(2) बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। उपरोक्त मोटरसाइकिल के सम्बन्ध में थाना भजनपुरा दिल्ली पर चोरी का अभियोग पंजीकृत है। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

**पूछताछ का विवरण–**

अभियुक्तगण ने पूछताछ करने पर बताया कि हम यह गांजा दिल्ली से खरीद कर लाये थे तथा इसकी छोटी-छोटी पुडिया बनाकर बेचने निकले थे कि पुलिस चेकिंग में पकड़े गये। बरामद चोरी की मोटरसाइकिल के सम्बन्ध में बताया गया कि यह मोटरसाइकिल हम दोनों ने भजनपुरा दिल्ली से चोरी की थी।

**गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता–**

1. समीर उर्फ लम्बू पुत्र बबलू निवासी पूजा कॉलोनी मंगल बाजार मुस्कान तिराहा थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद उम्र करीब 21 वर्ष।
2. साहिद उर्फ टिड्डा पुत्र समीम निवासी पूजा कॉलोनी मंगल बाजार मुस्कान तिराहा थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद उम्र करीब 21 वर्ष।

**बरामदगी का विवरण**

कुल 1.250 किलोग्राम अवैध गांजा व चोरी की एक मोटरसाइकिल बरामद।

**आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-**

अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना ट्रोनिका सिटी पर उपरोक्त बरामदगी के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा उपरोक्त मोटरसाइकिल के सम्बन्ध में थाना भजनपुरा दिल्ली पर चोरी का 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम।

## थाना ट्रोनिका सिटी, पुलिस टीम द्वारा "ऑपरेशन प्रहार" के अन्तर्गत चेकिंग के दौरान गांजा की तस्करी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से कुल 1.100 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद।

आज दिनांक 14.09.2026 को थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा "ऑपरेशन प्रहार" के अन्तर्गत चेकिंग के दौरान गांजा की तस्करी करने वाला अभियुक्त समीर उर्फ काला पुत्र साजिद निवासी बुद्ध बाजार पूजा कॉलोनी थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद को दौलतनगर थाना क्षेत्र ट्रोनिका सिटी से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से कुल 1.100 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ। उक्त बरामदगी के आधार पर थाना ट्रोनिका सिटी पर गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध धारा- 8/20 एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

**पूछताछ का विवरण–**

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि मैं दिल्ली से चोरी-छिपे गांजा लेकर आता हूँ तथा गांजा की छोटी-छोटी पुडिया बनाकर महंगे दामों पर बेच देता हूँ तथा जो रूपये मिलते है, उससे अपने शौक पूरे करता हूँ।

**गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–**

समीर उर्फ काला पुत्र साजिद निवासी बुद्ध बाजार पूजा कॉलोनी थाना ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद उम्र 19 वर्ष

**बरामदगी का विवरण**

कुल 1.100 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद।

**आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-**

अभियुक्त के विरुद्ध थाना ट्रोनिका सिटी पर उपरोक्त बरामदगी के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

**गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-**

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम।

## थाना नन्दग्राम पुलिस द्वारा हत्या की घटना का सफल अनवारण करते हुए दो अभियुक्त मय आलाकत्ल के गिरफ्तार किया गया।

दिनांक 13.09.2026 को वादी द्वारा थाना नन्दग्राम पर तहरीर दी कि मेरे पुत्र अश्वनी उर्फ आशू की धारदार हथियार व डंडे से चोट पहुंचाकर अज्ञात अभियुक्तों द्वारा हत्या कर दी गयी है। दिए प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना नन्दग्राम पर तत्काल मुकदमा अन्तर्गत धारा 103(1) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। थाना नन्दग्राम पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए मुखबिर की सूचना व संकलित साक्ष्यो के आधार पर अभियुक्तगण राजेश व भीम सिंह को गिरफ्तार किया गया। आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

**घटना का विवरण**

वादी का पुत्र अश्वनी उर्फ आशू शराब पीने का आदी था। आशू ने अपने बाबा भीम सिंह से शराब पीने के लिए रूपये मांगता रहता था जिससे भीम सिंह पर काफी कर्जा हो गया था। अभियुक्त भीम सिंह ने अपने हिस्से का आधा मकान लगभग 09 लाख रूपये में बेच दिया था। 06 लाख रूपये लोन के अदा करने के बाद 1.50 लाख रूपये मृतक अश्वनी उर्फ आशू के शराब का कर्ज अदा किया था। इसके बावजूद भी मृतक अश्वनी उर्फ आशू शराब पीकर आये दिन अपने हिस्से के रूपये मांगता एवं मारपीट करता था। जिससे छुटकारा पाने  के लिए अभियुक्त राजेश (चाचा) व भीम सिंह (बाबा) ने अश्वनी उर्फ आशू को मारने की योजना बनायी ।दिनांक 12.09.2026 को मृतक अश्वनी उर्फ आशू रात्रि 08.30 बजे शराब पीकर आया और अभियुक्त भीम सिंह से शराब के लिए रूपया मांगने लगा, भीम सिंह द्वारा रूपया न देने पर मृतक अश्वनी उर्फ आशू धमकी देकर चला गया। यह बात भीम सिंह ने अपने पुत्र राजेश को बतायी दोनो ने मिलकर योजनाबद्ध तरीके से धारदार हथियार (दांव) एवं डंडानुमा बल्ली के कटे टुकडे से अश्वनी उर्फ आशू के शरीर पर कई वार करके हत्या कर दी और वहां से चले आये। प्रात: 7.00 बजे अभियुक्त

भीम सिंह ने छत पर चढकर अश्वनी उर्फ आशू की हत्या करने का शोर मचाया तथा अभियुक्त राजेश द्वारा डायल 112 पर सूचना दी गयी। जिससे कोई इन पर हत्या का शक न करे।

थाना नन्दग्राम पुलिस द्वारा इलेक्ट्रानिक/सीसीटीवी कैमरों के फुटेज व मुखबिर की सूचना के आधार पर घटना का सफल अनावरण करते हुए अभियुक्त 1. राजेश पुत्र भीम सिंह निवासी अनिल कुमार का किराये का मकान चामुन्ड के पास नूरनगर सिहानी थाना नन्दग्राम गाजियाबाद उम्र 48 वर्ष 2. भीम सिंह पुत्र तेजराम निवासी नूरनगर सिहानी थाना नन्दग्राम गाजियाबाद उम्र 79 वर्ष को मय घटना में प्रयुक्त धारदार हथियार (दांव) व डंडानुमा बल्ली का टुकडा मय रक्त रंजित तकिये का कवर के गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के विरूद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

## पूछताछ का विवरण

अभियुक्तगण से पूछताछ करने पर अभियुक्त राजेश ने बताया कि मेरा भतीजा अश्वनी उर्फ आशू शराब पीने का आदी था जो शराब पीने के लिए पिता भीम सिंह से रूपये मांगता रहता था। मेरे पिता भीम सिंह पर काफी रूपया उधार हो गया था। मेरे पिता ने 09 लाख रूपये में अपने हिस्से का आधा मकान बेचकर 06 लाख रूपये का लोन व डेढ लाख रूपये आशू द्वारा शराब के कर्ज चुकाने के लिए अदा कर दिये थे फिर भी मृतक अश्वनी उर्फ आशू अपने हिस्से के रूपये मांगता रहता था एवं रूपये न देने पर गाली गलौच व जान से मारने की धमकी देता था। योजनाबद्ध तरीके से दिनांक 12.09.2026 की रात्रि समय करीब 10.00 बजे मैने व मेरे पिता भीम सिंह ने मिलकर धारदार हथियार (दांव) व डंडानुमा बल्ली के टुकडे से अश्वनी उर्फ आशू के शरीर पर कई जगह वार कर हत्या कर दी थी। हम दोनों ने मिलकर धारदार हथियार (दांव) को तकिये के कवर से साफ करके घर में छिपा दिया था व डंडे को तकिये के कवर सहित सामने पडे खाली प्लाट में फेंक दिया था। अभियुक्त भीम सिंह ने अपने पुत्र राजेश के बयानों का समर्थन किया।

## गिरफ्तार अभियुक्तगण

1. राजेश पुत्र भीम सिंह निवासी अनिल कुमार का किराये का मकान चामुन्ड के पास नूरनगर सिहानी थाना नन्दग्राम गाजियाबाद उम्र 48 वर्ष

2. भीम सिंह पुत्र तेजराम निवासी नूरनगर सिहानी थाना नन्दग्राम गाजियाबाद उम्र 79 वर्ष

## बरामदगी का विवरण

घटना में प्रयुक्त -1. डंडानुमा बल्ली का टुकडा मय रक्त रंजित तकिये का कवर 2. धारदार हथियार (दांव)

## गिरफ्तार करने वाली टीम

थाना नन्दग्राम पुलिस